123/181

132/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 132/2023

पीठासीन अधिकारी –कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थी – 1.मगाराम पुत्र मूलाराम
जाति जाट, निवासी जसनाथपुरा
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.कुनणीदेवी पत्नि हड्डुमानराम 2.जेठाराम 3.विशनाराम पि. हड्डुमानराम 4.पूनमाराम 5.सिरदाराराम पि.मूलाराम 6.चूनीदेवी पत्नि मूलाराम, जाति जाट, निवासी जसनाथपुरा, तहसील चौहटन
7.शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चौहटन
8.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –
प्रार्थी :– **श्री फताराम गोदारा**
विप्रार्थीगण :– **श्री ठाकराराम**

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 11.03.2025

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 6 का खेत मौजा जसनाथपुरा, पटवार क्षेत्र नेतराड़ तहसील चौहटन में खसरा सं. 1277/962 रकबा 07.5271 हैक्टयर, खसरा सं. 1284/530 रकबा 06.9849 हैक्टयर का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी के पिता मूलाराम के फौतगी नामान्तरण भरते समय सही नाम मगाराम नहीं लिखा जाकर गलत नाम पपूराम अंकन कर दिया गया तथा प्रार्थी के पहचान दस्तावेज पेन कार्ड, राशन कार्ड मतदान पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास आदि में सही नाम मगाराम इन्द्राज है। प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड एवं पहचान दस्तावेजों के नाम की भिन्नता होने से प्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है। अतः उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में दर्ज पपूराम पुत्र मूलाराम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.03.21 13:39:43 IST
Reason: SelfAttested

231/181

132/23

जगह सही नाम मगाराम पुत्र मूलाराम दुरस्त करवाना चाहता है जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया । विप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री ठाकराराम कड़वासरा ने वकालतनामा पेश किया। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के नाम दुरस्ती की रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार को लिखा गया । तहसीलदार से नाम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें तहसीलदार द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में पपूराम पुत्र मूलाराम के स्थान पर मगाराम पुत्र मूलाराम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया ।

पत्रावली पेश हुई , उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। विप्रार्थी वकील कोई जवाब पेश नहीं करना चाहते है तथा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदन के निस्तारण हेतु सहमत है। अतः उपस्थित अधिवक्ओं की बहस सुनी गई। बहस पर मन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । उपस्थित अधिवक्ता नाम दुरस्ती हेतु सहमत है अतः स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर **तहसील चौहटन के मौजा ज**सनाथपुरा, पटवार क्षेत्र नेतराड़ तहसील चौहटन में खसरा सं. 1277/962 रकबा 07.5271 हैक्टयर, खसरा सं. 1284/630 रकबा 06.9849 हैक्टयर में दर्ज पपूराम पुत्र मूलाराम के स्थान पर मगाराम पुत्र मूलाराम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो। संख्या से एक कम हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.03.21 13:39:43 IST
Reason: SelfAttested